

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कुशीनगर।

संख्या 48 / जि0पू0अ0-मू0नि0 / 010
जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
कुशीनगर।

दिनांक 23 जनवरी, 010

कृपया शासनादेश संख्या- 1869(1)/29-7-2008-मू0नि0 7/2006 दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 के अनुपालन में दिनांक 23.1.010 को जनपद कुशीनगर ने आवश्यक वस्तुओं/खाद्य सामग्री के निम्नलिखित फुटकर बिक्री मूल्यों को वेब-साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

क्रमांक	नाम खाद्य पदार्थ	फुटकर बिक्री मूल्य प्रति किलो रुपये में।
1	2	3
1.	चीनी	रु0 42.00
2.	अरहर दाल	रु0 72.00 से 85.00 तक
3.	मूग की दाल	रु0 70.00
4.	मसूर की दाल	रु0 50.00
5.	आलू	रु0 8.00
6.	प्याज	रु0 20.00

23/1/010
जिला पूर्ति अधिकारी,
कुशीनगर।